एआईपीएसएन का वक्तव्य
वैज्ञानिक प्रकाशनों के सार्वजनिक उपयोग पर प्रकाशकों के एकाधिकार प्रयासों को बंद करो

तीन प्रमुख अकादमिक प्रकाशकों- एल्सवियर लिमिटेड, वायली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी- ने भारत में Sci-Hub और Libgen के संचालन के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि जहाँ Sci-Hub ऐसी पहली साइट है जो शोध प्रकाशनों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्बाध अनुमति देती है वहीं LibGen से मुफ्त में पुस्तकों को डाउनलोड किया जा सकता है। इन वेबसाइट्स से भारतीय वैज्ञानिक, शिक्षक और छात्र मुफ्त में उन शोध प्रकाशनों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिए आमतौर पर शुल्क देकर प्राप्त किया जाता है।

एल्सवियर, वायली और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी इस मुक़दमे को क्यों दाखिल कर रहे हैं? देखा जाए तो जर्नल प्रकाशन विभिन्न क्षेत्रों में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाले उद्योग में से है। वर्तमान में यह 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग है। जर्नल प्रकाशन का मुनाफा प्रतिशत गूगल का 40% या उससे दोगुना है। कुल वैज्ञानिक प्रकाशनों का 40% इन तीन प्रकाशकों द्वारा किया जाता है और साथ ही वे विश्वभर के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के 50% से अधिक प्रकाशनों को नियंत्रित करते हैं।

ज्ञान और इसकी पहुँच को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। वास्तव में, वर्तमान प्रणाली के तहत इस अधिकार का हनन किया जा रहा है, जहाँ कुछ प्रकाशन समूह एकाधिकार के चलते कई गुना मुनाफा कमाते हैं। यह वैज्ञानिक ही हैं जो अपनी स्वेच्छा से पेपर की समीक्षा करते और गुणवत्ता का ध्यान तो रखते ही हैं और साथ ही संपादकीय मंडल का हिस्सा रहते हुए प्रकशन प्रक्रिया का भी प्रबंधन करते हैं। चाहे शोध लेखन का कार्य हो या फिर पेपर्स की समीक्षा और संपादन का, इनमें प्रकाशकों का कोई योगदान नहीं होता लेकिन फिर भी वे शोधकर्ताओं के शारीरिक और मानसिक श्रम का भरपूर फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जो लोग इन वेबसाइट्स को शोध सामग्री प्रदान करते हैं उन्हीं को अपने खुद के काम को देखने के लिए भुगतान करना पड़ता है। यह वैज्ञानिक प्रकाशन का व्यवसाय मॉडल है जो विज्ञान के लिए अनुचित है लेकिन प्रकाशक इससे भारी मुनाफा कमाते हैं।

एक युवा कजाखस्तानी विज्ञान विद्वान, एलेग्जेंडरा एल्बाक्यान ने अधिकांश विज्ञान के शिक्षार्थियों तक अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नल लेखों तक पहुँच न होने के कारण Sci-Hub की शुरुआत की थी। यूएस में दर्ज मामलों के तहत, उन्हें कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है और सुनवाई तथा एक लम्बी सज़ा के लिए अमेरिका ले जाया जा सकता है। यह कोई इत्तफाक़ नहीं कि दिल्ली उच्च न्यायलय में दायर मामले के तहत एल्बाक्यान को अपने पते का खुलासा करने के लिए कहा जाए ताकि अमेरिका अन्य क्षेत्रों तक अपनी पहुँच का उपयोग करके उनको इस कार्य से रोक सके।

यहाँ तक कि अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान को भी इन प्रकाशकों के एकाधिकार के चलते भारी लागत का भुगतान करना काफी मुश्किल हो गया है और फिलहाल तो संस्था ने आगे के लिए भुगतान करने से मना भी कर दिया है। गौरतलब है कि अमेरिका सहित जिन विश्वविद्यालय और संस्थानों के शोधकर्ताओं इन प्रकाशनों तक पहुँच रखते है वे भी Sci-Hub का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि Sci-Hub 80 मिलियन शोध पत्रों का एक ऐसा संग्रह है जहाँ पेपर्स को डाउनलोड करना काफी सरल है।

वर्ष 2016 में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार भारतीय शोधकर्ताओं ने एक वर्ष में Sci-Hub से 70 लाख पेपर्स डाउनलोड किए हैं। Sci-Hub के बिना, भारतीय विश्वविद्यालयों या विद्यार्थियों पर इसकी लागत लगभग 20-25 करोड़ अमेरिकी डॉलर होती, जिसका भुगतान न तो विद्यार्थी कर पाते और न ही हमारे विश्वविद्यालयों के पास इतना पैसा है।

निर्बाध अनुमति वाले जर्नल्स से लोग शोध सामग्री मुफ्त में पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन सामग्री तैयार करने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं या उनके संस्थानों या वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसियों को जर्नल में पेपर प्रकाशित करने के लिए भुगतान करना होता है। पढ़ने या डाउनलोड करने की अनुमति के बजाय, गरीब देशों और विश्वविद्यालयों की समस्या अपने शोधकर्ताओं के पेपर्स को प्रकशित करने के लिए किए जाने वाले भुगतान की ओर परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा, वर्तमान में शोध सामग्री का केवल 20% भाग ही निर्बाध अनुमति वाले जर्नल्स में उपलब्ध है।

यह तीनों प्रकाशकों ने अन्य देशों में भी इसी तरह के मुक़दमे दायर किए हैं। लेकिन भारत में, यह मुद्दा केवल प्रकाशक बनाम SciHub/ Libgen का नहीं है। यदि यह प्रकाशक न्यायालय के माध्यम से इन वेबसाइट्स को रोकने में सफल हो जाते हैं तो भारतीय विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के एक विशाल समुदाय की पहुँच इन जर्नल्स और किताबों तक वस्तुत: ख़त्म हो जाएगी। इससे भारत में विज्ञान और शिक्षा पर गंभीर दीर्घकालिक परिणाम होंगे।

यह माना जा सकता है कि Sci-Hub का भारत में कोई कानूनी मामला नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। Sci-Hub एक मुफ्त सेवा प्रदान करता है जहाँ विद्यार्थियों या शोधकर्ताओं से पेपर डाउनलोड करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यानी कि यह शोध पत्रिकाओं को उपलब्ध कराते हुए किसी प्रकार का मुनाफा नहीं कमाता है। दूसरा, भारत में प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) कानून में शिक्षा और अनुसंधान के लिए कुछ अपवाद प्रदान किए गए हैं। अब यह निर्णय न्यायलय को लेना है कि भारत में शोधकर्ताओं द्वारा Sci-Hub का उपयोग वैध कॉपीराइट अपवादों के दायरे में किया जा रहा है या नहीं। यह ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के फोटोकॉपी मामले में अदालतों ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था। इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का मतलब उन प्रकाशनों को भी ब्लॉक करना है जो निर्बाध उपयोग प्रदान करते हैं या इन प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। अंतत:, भारत में

कई कॉपीराइट धारक सामग्री तो ऐसी है जो 60 वर्षों से अधिक पुरानी या फिर कॉपीराइट से मुक्त है। फिर भी हमें इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए अभी भी पैसे देने होते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में कॉपीराइट धारकों द्वारा Sci-Hub और Libgen को पूरी तरह से प्रतिबंध करने के लिए दायर किए गए मामले देश के शोधकर्ताओं के भी खिलाफ हैं। प्रकाशन उद्योग के लुटेरों को सफलता मिलने से शोध कार्यों में सबसे अधिक रुकावट आएगी। इससे एलेग्जेंडरा एल्बाक्यान या Sci-Hub का भविष्य नहीं बल्कि भारत में अनुसंधान का भविष्य दांव पर है।

एआईपीएसएन ज्ञान तक पहुँच के इस एकाधिकार मॉडल को ख़त्म करने की मांग करता है और जनता को इसकी मुफ्त पहुँच प्रदान करने की प्रक्रिया का समर्थन करता है। एआईपीएसएन कानूनी तौर पर SciHub और Libgen के खिलाफ एकाधिकार प्रकाशन उद्योगों से लड़ने वालों का समर्थन करता है। यह SciHub और Libgen को रॉबिनहुड के रूप में देखता है जो जनता तक ज्ञान को पहुंचाते हुए उनके अधिकार हासिल करने का एक तरीका प्रदान करने का काम कर रहा है।

संपर्क करें:
पी.राजमनिकम, महासचिव एआईपीएसएन
gsaipsn@gmail.com, 9442915101
ट्विटर @gsaipsn